

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—42/2019 (2019/00128) वादपत्र
अनवान

1. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. किशना पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंकु बैवा गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पुत्री गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर, मृतक के वारीस रेकार्ड पर है
5. जमना पुत्री गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. दीपा पिता चेना जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रतिवादी 2

निर्णय

दिनांक 12.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 28.10.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का टुंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के संयुक्त खातेदारी कृषि एवं संयुक्त कब्जे काश्त आराजियात संख्या 206 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 0.97 है0 भूमि में वादी का 7/36 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है भूमि कंकु पत्नि गोपी 1/5, किशन पिता गोपी 1/5, जमना पुत्री गोपी 1/5, मांगी पुत्री गोपी 1/5, शान्तिलाल पिता गोपी 1/5 सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 206/1 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है भूमि देवीलाल पिता हजारी जाट सा. देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है भूमि दीपा पिता चेना जाट सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 है, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है भूमि छोगालाल पिता हजारी जाट सा. देह पूर्व प्रकरण संख्या 28/2019 में विभाजन की स्वीकृती होने से छोगालाल के नाम दर्ज की जावे तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 206/2 रकबा 0.02 है भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
12-11-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक क्लर्क (उत्तराखण्ड अधिकारी)
रायपुर, तहसील कीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—42/2019 (2019/00128) वादपत्र

अनवान

1. देवीलाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. किशना पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तिलाल पिता गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंकु बैवा गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पुत्री गोपी जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर, मृतक के वारीस रेकार्ड पर है
5. जमना पुत्री गोपी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. छोगालाल पिता हजारी जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. दीपा पिता चेना जाट निवासी किशोरपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रुबरु हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 211 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि कंकु पत्नि गोपी 1/5, किशन पिता गोपी 1/5, जमना पुत्री गोपी 1/5, मांगी पुत्री गोपी 1/5, शान्तिलाल पिता गोपी 1/5 सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 206/1 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि देवीलाल पिता हजारी जाट सा.देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 207 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 213 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि दीपा पिता चेना जाट सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 206 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि छोगालाल पिता हजारी जाट सा. देह पूर्व प्रकरण संख्या 28/2019 में विभाजन की स्वीकृती होने से छोगालाल के नाम दर्ज की जावे तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 206/2 रकबा 0.02 है0 भूमि शामिलती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



[Signature]
12-11-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा